मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के पास पेट्रोज़ोन के भूमि आवंटन को स्वीकृति दी

रीको को सोलर पार्क तथा चम्बल वृहद् पेयजल के लिये भी भूमि आवंटन को मंजूरी मिली

- पेट्रोज़ोन के लिये पचपदरा के ग्राम सिन्धियों की ढाणी में 74 हैक्टेयर और ग्राम खेमाबाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई।
- चम्बल-सवाई माधोपुर-करौली-नारौनी-गंगापुर सिटी की वृहद् पेयजल योजना के लिये वॉटर रिज़रवॉयर बनाने के लिये भंडारायल तहसील में 221 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

जयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए, राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए तथा चंबल नदी आधारित वृहद् पेयजल योजना के लिए भूमि आंवटन की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणा को पूरा करते हुए, रीको को पचपदरा तहसील (बालोतरा) के ग्राम सिन्धियों की ढाणी में 74.50 हैक्टेयर भूमि और ग्राम खेमाबाबा नगर में 102 हैक्टेयर भूमि के आंवटन की स्वीकृति दी है। इससे रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलून्द में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी रीको को 31 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही, उन्होंने 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचना के ग्राम बोडाना में 4 हजार हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है।

एक अन्य प्रकरण में, बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना चम्बल-सवाईमाधोपुर-करौली-नादौती-गंगापुर सिटी की क्रियान्विति के लिए वाटर रिजर्वेयर बनाने के लिए तहसील मण्डरायल (करौली) के ग्राम पंचौली, दरगवां, फिरोजपुर और मारकाकुआ में 221 हैक्टयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है।

'ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इस वर्ष 6.4 प्रतिशत घटेगा'

कांग्रेस का आरोप है कि ग्रोथ में भारी गिरावट आई है और सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती है

- कांग्रेस ने यह भी कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी में वृद्धि और कृषि उपज की एमएसपी बढ़ाना जरुरी है ताकि गरीबों की आय में वृद्धि हो सके।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्राइवेट फाइनल कंज़म्पशन एक्स्पैंडिचर में गिरावट का उल्लेख करते हुए कहा है, इस बार कारों की बिक्री चार साल के न्यूनतम स्तर पर रही।
- कांग्रेस ने मिडिल क्लास की घरेलू बचत कम होने पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि 2020-21 और 2022-23 के बीच घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रूपए घटी है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस ने आज केन्द्र सरकार से कहा कि भारतीय गरीब लोगों के लिए आमदनी का सहारा, मनरेगा की अधिक मजदूरी तथा बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य- आज की बड़ी आवश्यकता हैं। पार्टी ने मांग की कि आगामी केन्द्रीय बजट में "हास्यास्पद रूप से जटिल" जी.एस.टी. व्यवस्था को सरल बनाया जाये तथा मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत दी जाये।

कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि वर्तमान राजस्व के लिये जी.डी.पी. ग्रोथ के अनुमानों में गिरावट को रोकने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की जरुरत है, ताकि ग्रोथ में हो रही कमी तथा देश में निवेश में कमी होने की स्थिति खत्म हो सके।

ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा मीडिया-प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी स्थिति से केन्द्रीय बजट की बड़ी निराशाजनक पृष्ठभूमि बनती है।

रमेश ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जी.डी.पी. ग्रोथ के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जारी अग्रिम अनुमान में केवल 6.4 प्रतिशत ग्रोथ रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, "यह चार साल की सबसे कम ग्रोथ है तथा वित्त वर्ष 2024 (2023-24) की 8.2 प्रतिशत ग्रोथ की तुलना में जबरदस्त कमी दर्शाती है। यह हाल ही के आर.बी.आई. के अनुमान, 6.6 प्रतिशत ग्रोथ से भी कम है, जो पहले ही 7.2 प्रतिशत के पूर्व के अनुमान में कमी दर्शाने वाली थी। पिछले चन्द सप्ताहों में, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तथा सबसे महत्वपूर्ण मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार बंद हो गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ग्रोथ में स्लोडाउन और उसके विभिन्न आयामों से इन्कार करने की स्थिति में नहीं है।

रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गत दस सालों में भारत की उपभोग की कहानी उलट गई है और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन कर उभरी है।

उन्होंने कहा, इस वर्ष की दूसरी तिमाही के आँकड़ों के अनुसार, प्राइवेट फाइनल कंज़म्पशन एक्सपैंडिचर (पी.एफ.सी.ई.) पूर्व तिमाही के 7.4 प्रतिशत से घट कर 6 प्रतिशत रह गया है। कारों की बिक्री चार साल में सबसे निचले स्तर पर रही। भारत के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने संकुचित होते मध्यम वर्ग पर चिंता जताई। उपभोग में स्थिरता से जी.डी.पी. ग्रोथ रेट्स घिसट रही हैं, यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर नई उत्पादन क्षमता में निवेश करने को इच्छुक नहीं है।

कांग्रेस महासचिव ने निजी निवेश में सुस्ती की ओर भी इशारा किया व कहा कि "सरकार का अनुमान था कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में समग्र ग्रोथ के बारे में अनुमान था कि यह गत वर्ष के 9 प्रतिशत से घट कर 6.4 प्रतिशत हो जाएगी।"

उन्होंने कहा, यह आँकड़ा भी भारत में निवेश करने की निजी क्षेत्र की अनिच्छा को ढकने का प्रयास करता है।

उन्होंने कहा, सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि मशीनरी और उपकरण तथा बौद्धिक संपदा से प्राइवेट सैक्टर के ग्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन (जी.एफ.सी.एफ.) से वित्त वर्ष 2022-23 तक मात्र 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो अच्छा नहीं कहा सकता। स्थिति और बिगड़ी है और निजी क्षेत्र द्वारा वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में नई योजनाओं की घोषणा के 21 प्रतिशत की कमी हुई है। निजी क्षेत्र की नई उत्पादन क्षमता में निवेश की अनिच्छा दर्शाती है कि हमारी मध्यकालिक ग्रोथ और ज्यादा प्रभावित होगी।

रमेश ने कहा, 2024-25 के केन्द्रीय बजट में 11.11 लाख करोड़ रूपए के आवंटन के साथ पूँजी निवेश में बढ़ोतरी के बड़े-बड़े वादे किए गए थे। तथापि, नवम्बर तक, केवल 5.13 लाख करोड़ रूपए ही खर्च किए गए। रमेश ने यह भी दावा किया कि यह पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत कम था।

उन्होंने दावा किया, "अधिकतर आकलन संकेत देते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगी। अपने फंड खर्च करने में सरकार की अक्षमता कुछ हद तक व्यापक आर्थिक निराशा के लिए जिम्मेवार है।"

"परिवार की सिकुड़ती बचत" की बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार का स्वयं का डेटा दिखाता है कि 2020-21 और 2022-2023 के बीच परिवारों की नैट वित्तीय बचत में 9 लाख करोड़ की कमी आई।

उन्होंने कहा, परिवार के वित्तीय उत्तरदायित्व जी.डी.पी. का 6.4 प्रतिशत थे, जो कि कई दशकों में सर्वाधिक हैं। रमेश ने कहा, "कोविड-19 पैन्डैमिक के समय की नीतियों की असफलता अभी भी भारत के परिवारों को परेशान कर रही है। यह पृष्ठभूमि है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आमामी बजट की। जैसा कि नैशनल कांग्रेस ने निरंतर कहा है, ग्रोथ स्लोडाउन और निवेश निरुत्साह के बादलों को हटाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा, भारत के गरीबों के लिए आय में सहायता, मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ाने और कृषि उपज की एम.एस.पी. बढ़ाना समय की जरुरत है, हास्यास्पद रूप से जटिल जी.एस.टी. प्रणाली का सरलीकरण और मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत भी जरुरी है।

लम्बे रोड शो के कारण आतिशी नामांकन नहीं भर सकीं

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को नामांकन से पहले लंबा रोड शो, किया लेकिन नामांकन नहीं दाखिल कर सकी। आतिशी ने नामांकन से पहले लंबा रोड शो किया लेकिन तीन बजे उन्हें चुनाव आयोग पहुंचना था, इसलिए नामांकन नहीं कर सकी। इससे पहले, उन्होंने आप नेता मनीष सिसोदिया के साथ गिरि नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु गोविंद साहिब में मत्था टेका और कालकाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की और अपने अभियान के लिए आशीर्वाद मांगा।

न स्वास्थ्य, न उम्र, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बना हुआ है। उस परिवार का उन पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वे ऐसे इकलौते नेता हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को आँखें दिखाई हैं तथा उस विश्वास को तोड़ा है, जो उस परिवार को उन पर था।

इसलिए, अगर गहलोत ने दिल्ली के चुनावों को लेकर एक प्रैस कॉन्फ्रैंस आयोजित की, तो सचिन पायलट से भी कहा गया है कि एक युवा नेता के रूप में, वे भी एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित करें तथा यह घोषणा करें कि कांग्रेस दिल्ली के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष तक 8500 रूपए प्रतिमाह देगी।

गहलोत इस समय मुश्किल में है क्योंकि उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र और गांधी परिवार से उनकी परेशानी- कोई भी चीज उनकी इस महत्वाकांक्षा का समर्थन नहीं कर रही कि वे पार्टी और राजनीति में प्रासंगिक बने रहें।

हर मोर्चे पर असफल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिये हैं, इसके साथ ही गोला-बारुद का बड़ा जखीरा वहाँ पहुँचा दिया गया है। कुछ नौसैनिक बल भी अतिरिक्त रुप से सक्रिय हो गये है तथा उन्होंने बंगाल की खाड़ी से भारतीय मछुआरे पकड़े हैं।

सही बात तो यह है कि बाँग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों तथा सेनाओं द्वारा भारतीय सेना पर सीधी लड़ाई के लिये दबाव बनाने में कोई संदेह नहीं रहा है। यह पूरी तरह सम्भव है कि बाँग्लादेश की अन्तरिम सरकार पर कम से कम कुछ क्षेत्रों में कुछ परिणाम प्रदर्शित करने का भारी दबाव है तथा इसलिये वह सरकार अपनी जनता को अपनी सैन्य दक्षता दर्शा रही है। कुछ छुटपुट तथा आकस्मिक घटनाएं घटित होने की कुछ संभावना हर समय है तथा ऐसी घटनाओं से अनावश्यक टकराव तथा दुश्मनी की स्थिति पैदा हो सकती है।

बाँग्लादेश में इस उग्र माहौल को शांत करने के प्रयास के अन्तर्गत, भारतीय डिप्टी हाईकमिश्नर ने मौजूदा तंत्र पर बातचीत के लिये मंच उपलब्ध कराने पर बल दिया है।

बाँग्लादेश, भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है कि वह उनकी फरार नेता, शेख हसीना को बाँग्लादेश के सुपुर्द करे। बाँग्लादेशी अधिकारी शेख हसीना को वापस करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। अब वे भारत में शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिये "रैड कॉर्नर" नोटिस जारी कराने के लिये इन्टरपोल भी जा रहे हैं।

हालाँकि, इन्टरपोल समझौते पर भारत के हस्ताक्षर हैं, फिर भी प्रत्येक भागीदार देश सभी "रैड कॉर्नर" आवेदनों को अपने देश के कानून के आधार पर परखता है तथा किसी देश के लिये यह जरुरी नहीं है कि वह उस व्यक्ति को सौंप दे, जिसने उसके क्षेत्राधिकार में शरण ली है। यह असंभावी है कि इन परिस्थितियों में, भारत शेख हसीना को बाँग्लादेशी अधिकारियों को सौंप देगा। इससे आगामी उस अवधि के दौरान दोनों देशों के रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, जब तक वहाँ वर्तमान अन्तरिम सरकार का शासन है।

हाईकोर्ट ने गंगापुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रामकेश मीणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सारांश सैनी ने अदालत को बताया कि गंगापुर सिटी को जिले का दर्जा निर्धारित मापदंड के तहत दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिलों को लेकर राजनीति शुरु हुई और अब राजनीतिक द्वेषता के चलते ही कुछ जिलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। गंगापुर सिटी से जिला का दर्जा समाप्त करने के पीछे भी सरकार की राजनीतिक द्वेषता ही है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले गंगापुर सिटी को जिला बनाया था और उसके बाद यहां कई प्रशासनिक नियुक्तियां हो चुकी हैं। यहां विभाग भी बतौर जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। कमेटी ने लोगों से आपत्तियां मांगने के बाद इसे जिला घोषित किया था। ऐसे में अब महज राजनीतिक द्वेषता के चलते इसे जिला निरस्त करना गलत है।

छात्र आंदोलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का लाभ दे चुकी है, जबकि नरेश के अलावा शेष अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। वहीं, साल 2004 में ही पुलिस ने विवि के बाहर रास्ता जाम करने के मामले में मामला दर्ज कर आरोपी नरेश मीणा की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस पर अदालत ने नरेश मीणा के गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी कर तलब किया था। पुलिस ने सोमवार को नरेश मीणा को जेल से प्रोडक्शन वारंट से लाकर अदालत में पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 24 जनवरी तक जेल भेज दिया।

फरवरी 2020 को दिल्ली में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- ताहिर हुसैन इस केस में आरोपी हैं तथा 4.9 साल जेल में हैं।
- अपनी जमानत अर्जी में ताहिर हुसैन ने कहा है, वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये, क्योंकि मुकदमा काफी लम्बा चलेगा, 114 गवाहों के बयान होने पर, 4.9 साल में केवल 20 गवाहों की गवाही हुई है। चुनाव का पर्चा भरने, चुनाव प्रचार करने व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाये।

आरोपी ने जेल से ही नामांकन पत्र भरा था। नवीनतम उदाहरण अमृतपाल सिंह का है।

आरोपी के वकील ने कहा, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उसे नामांकन पत्र दाखिल करने के अलावा चुनाव प्रचार भी करना होगा और अपनी सम्पत्ति भी घोषित करनी होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आई.बी. कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या के केस में दायर ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा।

उन्होंने आगे कहा कि ट्रॉयल कोर्ट ने गत वर्ष राशिद इंजीनियर को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जमानता दी थी।

यह भी कहा गया है कि हुसैन 9 मार्च 2020 से ही जेल में है तथा उसने दंगों से जुड़े दो अन्य मामलों में भी जमानत मांगी है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

हुसैन ने गत सप्ताह कोर्ट से 14 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक के लिए जमानत मांगी थी ताकि वह ए.आई.एम.आई.एम. के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ सके। उसने नामांकन पत्र भरने, बैंक में खाता खोलने व प्रचार करने के लिए जमानत मांगी है।

यह याचिका अधिवक्ता तारा नरुला ने दायर की है। पूर्वोत्तर दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़की थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे तथा कई अन्य घायल हो गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर पुलिस को स्टेशन में शिकायत की थी कि उसका पुत्र अंकित शर्मा जो इन्टैलिजैंस ब्यूरो में नौकरी करता है, 25 फरवरी से लापता है। कथित रूप से शर्मा को दंगाग्रस्त क्षेत्र खजूरी खास नाला से मिला उसके शरीर पर चोट के 51 निशान थे। हुसैन ने कहा कि वह 4 साल 9 माह जेल में गुजार चुका है और केस का ट्रायल शुरु हो चुका है। पर, 114 गवाहों में से 20 के बयान दर्ज हुए है।

हुसैन ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में काफी समय लग गए। उसकी याचिका में कहा कि दंगाई भीड़ में शामिल लोगों, जो कथित तौर पर शर्मा की हत्या में लिप्त थे, उन्हें हाई कोर्ट जमानत दे चुका है।

सिंगापुर के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आयेगा। उनका 16 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, शनमुगरत्नम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ चर्चा करेंगे, जो उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी करेंगी। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य लोगों से भेंट करेंगे। वे 17-18 जनवरी को ओडिशा का भी दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत को भी चिह्नित करेगी।

ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति थर्मन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात करेंगे।

नाबालिग से दुष्कर्म व बेचने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि पीड़िता की मां ने 10 जुलाई, 2014 को गलता गेट थाने में पीड़िता के लापता होने की जानकारी दी थी। रिपोर्ट में बाल अपचारी पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ किशोर बोर्ड में चालान पेश किया था और बोर्ड ने उसे तीन साल के लिए सुरक्षित स्थल, भीलवाड़ा में भेजने के आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि बाल अपचारी और नैना व सपना उसे बहला फुसला कर शिकोहाबाद ले गए थे। यहां बाल अपचारी ने अपने घर पर उसका रेप किया और अनैतिक काम कराना चाहा।

'सीएजी रिपोर्ट पेश करने में बरती जा रही ...

- जस्टिस सचिन दत्ता ने आप सरकार को कहा, आपको तुरंत रिपोर्ट सदन में पेश करनी चाहिए थी और चर्चा करवानी चाहिए थी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस तरह टालमटोल कर रही है उससे उसकी वास्तविकता को लेकर शक होता है आपको सीएजी रिपोर्टों को तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करना चाहिये था ताकि उस पर सदन में बहस करायी जा सके।

अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।

अदालत ने कहा कि इन रिपोर्टों को उपराज्यपाल को भेजने और फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करने की तिथियों और उनमें लगने वाले समय को देखा जाये तो उससे सारी चीजें स्पष्ट लगती हैं।

अदालत ने कहा, देखिये आपने कुछ समय तक किस तरह टाल-मटोल की यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह टाल-मटोल सीएजी की रिपोर्ट पर बहस करने से बचने के लिए थी।

भाजपा के विधायक विजयेन्द्र गुप्ता, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार वाजपेयी और जितेन्द्र महाजन ने अदालत में याचिका दायर की है कि सी ए जी की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिया जाये।

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल के कार्यालय में रिपोर्टों को सार्वजनिक किया गया है और समाचार पत्रों को भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि यहां राजनीतिक फायदे के लिए अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मामला अदालत के विचाराधीन होने के बावजूद संवाददाता सम्मेलन किया।

अदालत ने कहा कि इन बातों का असल मुद्दे से क्या संबंध है। अदालत ने सरकार से आरोपों का जवाब देने को कहा और टिप्पणी की कि राजनीति से उसका लेना देना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि अदालत को पूरा अधिकार है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को सीएजी की रिपोर्ट रखने के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश दे सके। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट न पेश करना विधानसभा की कार्यवाही का मामला नहीं है बल्कि एक बड़ा अवैध कार्य है और संविधान का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चार दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गयी, लेकिन उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।

विधानसभा सचिवालय ने याचिका पर नोटिस के जवाब में कहा है कि कानूनी व्यवस्था के अनुसार अब सीएजी की इन रिपोर्टों की संवीक्षा नहीं करायी जा सकती क्योंकि अब चुनाव के बाद गठित होने वाली सरकार द्वारा लोक लेखा समिति का गठन किया जायेगा। सचिवालय ने यह भी कहा है कि सदन को चलाने के अध्यक्ष के अधिकार को देश के किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष को सीएजी की रिपोर्ट तत्काल सदन में रखवाने का निर्देश दे सके।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

एक वर्ष
परिणाम उत्कर्ष

पटेल नगर
आवासीय योजना

(खोरी-रोपाड़ा) जोन-10

(रेरा रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2023/2588)

270 भूखण्डों
के लॉटरी से आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ

आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	14.01.2025
आवेदन की अन्तिम तिथि	:	13.02.2025
लॉटरी की तिथि	:	24.02.2025

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु
जविप्रा की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in
अथवा ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

RERA Website : http://rera.rajasthan.gov.in

राजस्थान संवाद

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600